बजट अनुमान 2011-2012

बजट अनुमान 2011-12 में वर्ष 2010-11 के संशोधित अनुमानों की तुलना में ₹ 41153 करोड़ (3.4%) की निवल बढ़ोतरी दिखाई गयी है । आयोजना व्यय में ₹ 46523 करोड़ (11.8%) की वृद्धि हुई है। आयोजना-भिन्न व्यय के अन्तर्गत ₹ 5370 करोड़ की निवल बढ़ोतरी हुई। आयोजना-भिन्न तथा आयोजना व्यय अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

		संशोधित 2010-11	बजट 2011-12	घट-बढ़ कमी(-)/ वृद्धि(+)
आयोजना-भिन्न				
1.	ब्याज संदाय और ऋण शोधन	240757	267986	(+) 27229
2.	रक्षा सेवा व्यय	151582	164415	(+) 12833
3.	पैंशन	53262	54521	(+) 1259
4.	ब्याज सब्सिडियां	5223	6868	(+) 1645
5.	राज्य सरकारों को अनुदान	51756	65466	(+) 13710
6.	पुलिस	27587	29685	(+) 2098
7.	पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	27696	13212	(-) 14484
8.	पेट्रोलियम सब्सिडी	38386	23640	(-) 14746
9.	किसानो के लिए कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना	12000	6000	(-) 6000
10.	उर्वरक सब्सिडी	54977	49998	(-) 4979
11.	सरकारी उद्यमों के लिए अनुदान और ऋण	6588	514	(-) 6074
12.	डाक संबंधी घाटा	5854	5018	(-) 836
13.	अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	145884	128859	(-) 17025
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय		**821552**	**816182**	**(-) 5370**
आयोजना				
1.	केन्द्रीय आयोजना	298612	335521	(+) 36909
2.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	96412	106026	(+) 9614
जोड़ (आयोजना) व्यय		**395024**	**441547**	**(+) 46523**
जोड़ व्यय (आयोजना+आयोजना भिन्न)		**1216576**	**1257729**	**(+) 41153**

आयोजना-भिन्न

1. बाजार ऋणों पर ब्याज की अधिक अदायगी ।
2. रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की वर्धित आवश्यकता के कारण।
3. यह वृद्धि मुख्यतः पेंशन के भुगतान सम्बन्धी अधिक आवश्यकता के कारण है।
4. यह वृद्धि मुख्यतः निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत बैंको को ब्याज सब्सिडी के अन्तर्गत उच्च आवंटन के कारण है।
5. यह वृद्धि मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए है।
6. यह वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक सुरक्षा की अधिक आवश्यकता के कारण है।
7. यह कम आवश्यता मुख्यतः सीबीडीटी के लिए तैयाशुदा आवास, पीएसबी का पुनः पूंजीकरण, पीएसबी के पूंजीकरण हेतु टियर-1 लिखत अभिदान आदि के कारण है।
8. यह कमी सं.अ. 2010-11 में तेल विपणन कम्पनियों को भुगतान की गयी उच्च पेट्रोलियम सब्सिडी के कारण है।
9. यह कमी किसानों को कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के लिए कम आवश्यकता/प्रावधान के कारण है।
10. यह कमी विनियंत्रित उर्वरकों की सब्सिडी आवश्यकता में प्रत्याशित कमी के कारण है।
11. यह कमी मुख्यतः सं.अ. 2010-11 में एफसीआई को अल्पावधि ऋण के लिए अधिक आवश्यकता के कारण है।
12. यह कमी अनुमानित डाक प्राप्तियों में बढ़ोतरी के कारण है।

आयोजना

1. यह समग्र वृद्धि कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, पशुपालन, डेरी और मछली पालन, परमाणु ऊर्जा, वाणिज्य, डाक, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, एड्स नियंत्रण, गृह, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, उच्चतर शिक्षा, विधि और न्याय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, योजना, विद्युत, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वस्त्रोद्योग, महिला और बाल विकास तथा रेलवे में वृद्धि के कारण है।
2. यह समग्र वृद्धि सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता, (असम्बद्ध), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम, सड़क और पुल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवीकरण मिशन,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और संघ राज्य क्षेत्र आयोजना तथा विशेष आयोजना सहायता में कमी, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता एवं अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की वजह से है।